भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2202
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

इज़राइल में भारतीय कामगारों की सुरक्षा

2202. **डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इज़राइल में चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न श्रमिकों की कमी को पूरा करने हेतु भेजे गए भारतीय कामगारों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उक्त कामगारों के रोजगार की प्रकृति, नियोक्ताओं के नाम और कामगारों द्वारा प्राप्त वेतन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इज़राइल में काम करना जारी नहीं रखने की इच्छा वाले लोगों को भारत में सुरक्षित वापसी कराने की सरकार की कोई योजना है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार, विशेषकर उक्त कामगारों के विरुद्ध श्रम कानून के उल्लंघन के मामलों का हवाला देने वाली हालिया रिपोर्टों को देखते हुए भविष्य में इस योजना को जारी रखेगी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से घ) **2022** में, भारत और इज़राइल ने भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित, विनियमित और वैध प्रवास के माध्यम से इज़राइल तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु एक द्विपक्षीय रूपरेखा(फ्रेमवर्क) करार संबंधी बातचीत शुरू की। नवंबर **2023** में इज़राइल के साथ हस्ताक्षरित रूपरेखा करार एवं कार्यान्वयन प्रोटोकॉल के अनुसार, भारतीय श्रमिकों को इज़राइली नागरिकों के समान श्रम अधिकारों के संबंध में समान व्यवहार प्राप्त होगा और उन्हें उचित आवास, चिकित्सा बीमा और संगत सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाएगा।

द्विपक्षीय रूपरेखा करार के तहत, **1** जुलाई **2025** तक **6774** भारतीय श्रमिक काम के लिए इज़राइल पहुँच चुके थे। इज़राइली प्राधिकारियों ने उनकी भर्ती की है और फिर चयनित आवेदकों को इज़राइल में काम करने के लिए **195** इज़राइली कंपनियों में नियुक्त किया है। इनमें निर्माण क्षेत्र में कार्यरत **6730**

भारतीय नागरिक और देखभालकर्ता के रूप में कार्यरत **44** भारतीय नागरिक शामिल हैं। उन्हें हस्ताक्षरित संविदा के अनुसार भुगतान किया जाता है और वे इज़राइली सरकार के विनियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन के हकदार हैं।

इज़राइल स्थित भारतीय दूतावास भारतीय श्रमिकों के संपर्क में है और उनकी सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से कोंसली दौरे आयोजित करता है। दूतावास ने इज़राइल में भारतीयों की सहायता के लिए **24** घंटे की हेल्पलाइन स्थापित की है। कुछ श्रमिकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं कि उन्हें वह नौकरी नहीं मिली, जिसका उन्हें आश्वासन दिया गया था। इन शिकायतों को इज़राइल में संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया, जिन्होंने मामले का समाधान कर दिया है। लगभग **220** भारतीय श्रमिक मुख्यतः कौशल असंगतता और भाषा संबंधी बाधाओं के कारण भारत लौट आए हैं।

*****